

बैंकों का
राष्ट्रीयकरण
या
सरकारीकरण



दत्तोपन्त ठेगड़ी

संसद सदस्य

महामंत्री

भारतीय मजदूर संघ

“निजी उद्योगों के अवगुणों से राष्ट्रीयकरण के नुस्खों की परिपुष्टि नहीं हो सकती। निजी क्षेत्र में गुराहगों का लोत यह है कि कतिपय थोड़े से हाथों में आर्थिक सत्ता का केन्द्रियकरण हो जाता है। यह भी कहा गया है कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता व्यक्ति को पूरी तरह भ्रष्ट बना देती है। किन्तु यदि वह सत्ता निजी उद्योगपतियों को भ्रष्ट कर सकती है तो जिनके नुस्खों में राजदण्ड भी है इसके भ्रष्टकारी प्रभाव से उनमें आर्थिक भ्रष्टता रहेगी। निजी उद्योगों में आर्थिक लोट का केन्द्रियकरण होता है परं राष्ट्रीयकरण के अवलम्बन तो राजनीतिक और आर्थिक सत्ता दोनों ही एक हाथ में केन्द्रित हो जाती हैं। इसके कारण तो स्थिति और व्यवस्थाएँ हो जाती हैं।”

प्रकाशक—
भारतीय मजदूर संघ
२, नवीन मार्केट, कालपुर-१

मूल्य २५ प्रैसे

मुद्रक—
टिप-टाप प्रिन्टर्स
१४/११, विरहमता रोड, कालपुर-१

राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में व्याख्यातिरिक्त दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो किसी वाद अथवा सिद्धान्त की रुढ़ि से बदला हुआ न हो। आज इस नीति में भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि कोई भी उद्योग पूरी तरह लिंगबन्ध, स्वतन्त्र और अनियन्त्रित रहे। अमेरिका में भी १९३३ के बाद से बैंकिंग उद्योग की स्वतंत्रता समाप्त हो गयी है। ब्रिटेन में तो स्थिति और भी छजेदार है। वहां तों के गैर समाजवादी और समाज विरोधी दलों ने व्याख्यातिरिक्त लंगर पर राष्ट्रीयकरण प्रारम्भ किया। वस्तुतः वहां समय समय पर लेवर पार्टी की सरकारें द्वारा, “सम्बन्ध पोर्ट ट्रस्ट एथारिटी” के प्रबन्ध का स्वरूप चितावने कि १९०८ में उदारदलीय सरकार ने राष्ट्रीयहक्क, किया था, के सदृश्य ही स्वीकार किया गया और इस प्रकार उसके प्रति समाजवादी सरकार ने भी वही व्याख्यातिरिक्त रुख अपनाया।

व्याख्यातिरिक्त दृष्टिकोण

ब्रिटेन के श्रमिक दल ने अपने १९३१ के चनाल अधिनियम में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लंबरपाड़ी का नाम दे-

किया जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य घोषित किया गया था । परंतु जब लेबरपार्टी १९४६ में सत्तारूढ़ हुयी तो, उसे यह अनुभव हुआ कि ऐसे किसी पग के उठाने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि बैंक पर्याप्त मात्रा में राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जागरूक थे । युद्ध के कार्य में ब्रिटेन में बैंकिंग उद्योग ने इस सर्वेसम्मत उद्देश्य को पूर्ण करने वाला व्यवहार किया जिससे कि अर्थशास्त्रियों को भी आश्चर्य हुआ । उन्होंने इसबात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या इस प्रकार की भावना राजकीय नियंत्रण की मशीनीकृत व्यवस्था में उत्पन्न होना सम्भव भी है ? लेबरपार्टी की सरकार द्वारा सैद्धान्तिक आधार पर राष्ट्रीयकरण करने के वादे को पूर्ण करने के लिए ही उसने १९४६ में केवल एक बैंक “बैंक ऑफ इंग्लैंड” का राष्ट्रीयकरण किया, शेष का नहीं । पर तब से न तो लेबरपार्टी ने और न ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने ही बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग के सम्बन्ध में बहुत अधिक उत्साह दिखाया । १९४६ से तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के प्रति उत्साह घटता ही रहा है ।

इस समस्या को एक सैद्धांतिक समस्या नहीं समझनी चाहिए । आज पूर्ण राष्ट्रीयकरण का नारा एकदम अप्रासंगिक है एवं असामयिक है और वैसे ही उन्मुक्त व्यापार का नारा भी असामयिक है । अङ्ग इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सभी आर्थिक और औद्योगिक बुराझों की रामबांध दवा “राष्ट्रीयकरण” है । अपितु इसे कुछ मामलों

में एक आवश्यक बुराई के नाते ही स्वीकार करना चाहिए ।

निजी उद्योगों की बुराई

मोटे तौर पर निजी बैंकिंग व्यवस्था द्वारा राष्ट्रीय नीतियों के परिपालन न किये जाने की आपत्ति उठायी जाती है, वह गलत नहीं है । किसानों और छोटे उद्योगपतियों को जिस बात की उन्हें जरूरत होती है, वह उन्हें नहीं मिल पाती । इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि क्रृष्ण सुविधाओं का उपयोग किसी सीमा तक अनुत्पादक कार्यों और सट्टे बाजी के लिये किया जाता है । इस प्रकार थोड़े से हाथों में आर्थिक अधिकारों का केन्द्रीयकरण इसी में से अभिभूत एक बुराई है ।

केन्द्रीयकरण एक खतरनाक पग

पर निजी उद्योगों के अवगुणों से राष्ट्रीयकरण के गुणों की परिपुष्टि नहीं हो सकती । निजी क्षेत्र में बुराइयों का स्रोत यह है कि करिपय थोड़े से हाथों में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण हो जाता है । यह भी कहा गया है कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता व्यक्ति को पूरी तरह भ्रष्ट बना देती है । किन्तु यदि वह सत्ता निजी उद्योग पतियों को भ्रष्ट कर सकती है तो जिनके हाथों में राजदण्ड भी है इसके भ्रष्टकारी प्रभाव से उनमें अधिक भ्रष्टता रहेगी । निजी उद्योगों में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीय-

करण होता है पर राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत तो राजनैतिक और आर्थिक सत्ता दोनों ही एक हाथों में केन्द्रित हो जाती हैं। इसके कारण स्थिति और खतरनाक हो जाती है।

निजी व सरकारी दोनों ही समान रूप से आपत्तिजनक

राज्य के अधिकारी भी उतने ही मानव हैं जितने कि पूँजीपति। जब तक सभी प्रकार की आर्थिक और राजनैतिक आदि शक्तियों का विकेन्द्रीकरण नहीं होता, तब तक वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों और संस्थानों का कार्य अच्छा नहीं है। इन मामलों में राष्ट्रीयकरण एक अष्टनौकरशाही ही सिद्ध हुआ है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में प्रतिष्ठापित नौकरशाही में न तो व्यापारिक क्षमता होती है और न तज़ व विशेषज्ञ होते हैं और न ही उन्हें औद्योगिक मनोविज्ञान की कोई ज्ञानकारी होती है। अधिकांश सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों का प्रबन्धकों के साथ सतत् संघर्ष चलता रहता है। कम्युनिष्टों ने जीवन बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण का स्वागत किया था, किन्तु कालान्तर में कम्युनिष्टों ने ही यह अनुभव किया कि राष्ट्रीय कृत उद्योग का व्यवस्थापक भी पुराने निजी मालिक से कम मजदूर विरोधी नहीं है। ब्रिटेन में ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा गठित एक विशेष समिति ने दोनों ही क्षेत्रों के औद्योगिक सम्बन्धों का अध्ययन किया और यह पाया कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों में मजदूर मालिक सम्बन्ध उसी प्रकार अच्छे या बुरे एवं अनपे-

क्षित हैं जिस प्रकार निजी उद्योगों में हैं ।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक तानाशाही पग

वर्तमान परिस्थितियों में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ होगा बैंकों का सरकारीकरण या राजनीतीकरण । इस बात के विश्वास के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं कि इस पग द्वारा बैंकिंग उद्योग में भी सभी अवगुण प्रविष्ट हो जावेंगे जो आज सार्वजनिक संस्थानों में विद्यमान हैं और यह निश्चित है कि यह पग तानाशाही की दिशा में एक पग होगा । एक और जहां बैंकिंग उद्योग की असफलता से हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की नीव हिल उठेगी, वहां दूसरी ओर सरकार के हाथों में आर्थिक और राजनैतिक सत्ता का केन्द्रीकरण देश में लोकतन्त्र की परिसमाप्ति की प्रक्रिया और तेज कर देगा । वास्तव में यह बात आग में घी डालने के सदृश्य है ।

बैंकों मैं जमा जनता के सैकड़ों करोड़ों रुपयों पर बड़े बड़े बैंकरों का नियन्त्रण रहे, इस प्रकार की स्थिति के पक्ष में हम बिल्कुल नहीं हैं । परंतु हम स्वयं भी प्रगतिवादियों के इस मत के भी कायल नहीं हैं कि राष्ट्रीयकरण ही केवल निजी पूँजीवाद का विकल्प है । जब कि अन्य अनेक एवं विभिन्न विकल्प हमारे सामने हैं ।

राष्ट्रीयकरण व पूँजीवाद के स्थान पर अन्य विकल्प

सहकारी करण और निगमीकरण त्रो सुपरिचित विकल्प हैं । उद्योगों का श्रमिकीकरण भी एक ऐसा विकल्प है

जिसका किसी भी उद्योग को सरकार के हाथ में सौंपने के पूर्व श्रमिकों के हाथों में देकर समुचित परीक्षण किया जाना चाहिए। श्रमिकीकरण के विभिन्न रूप हैं। श्रमिकों के श्रम की कीमत अंशों के रूप में आंकना और इस प्रकार उसे एक अंशदार की स्थिति तक ले जाना ऐसा ही तरीका है। अर्थात् 'पैसे के समान पसीने का भी शेयर' हो। इस योजना का विस्तार से विवेचन किया जा सकता है। किसी उद्योग के अंतर्गत कार्य करने वाले लोगों द्वारा ही उस उद्योग का परिचालन और उनका ही उस उद्योग का स्वामी होना यह भारतीय प्रक्रिया व स्वरूप भी है।

यदि किसी उद्योग की विशेष प्रकृति होने के कारण उपरोक्त दोनों ही प्रकार अव्यवहारिक सिद्ध होते हैं तो प्रारम्भ में उस उद्योग विशेष का स्वायत्तशासी निगम गठित कर जिसके व्यवस्थापक मंडल में कर्मचारी सहित सभी सम्बद्ध हितों का प्रतिनिधित्व हो, आंशिक श्रमिकीकरण प्रारम्भ किया जा सकता है। इस प्रसंग में यह उल्लेख करना समीचीन है कि औद्योगिक स्वामित्व का कोई एक सर्वमान्य स्वरूप किंवा प्रक्रिया सभी उद्योगों के लिये एक ही प्रकार निर्धारित नहीं की जा सकती।

विभिन्न उद्योगों की अपनी विभिन्न विशेषतायें होती हैं और उनका स्वामित्व भी उन विशिष्ट उद्योग की प्रकृति के अनुरूप ही होना चाहिए। उदाहरणार्थ पश्चिमी जर्मनी में प्रेसिंग इन्डस्ट्रीयल स्टेट का राष्ट्रीयकरण समाप्त किया गया।

रुद्धिवादियों के अनुसार जो कुछ भी राष्ट्रीयकृत नहीं हैं वह सब निश्चय ही निजी पूँजीपतियों की होनी चाहिये । किन्तु इस गैर राष्ट्रीयकरण की ४ शर्तें थीं । प्रत्येक शेयर बहुत ही छोटा रहेगा, किसी को भी ५ शेयर से अधिक खरीदने की अनुमति न होगी, जो अल्प आयवर्ग का होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे वे ही शेयर खरीदने के अधिकारी हो सकते हैं । और इस प्रकार शेयरों की खरीद में उस उद्योग में कर्मचारियों को अन्यों की तुलना में प्राथमिकता दी जायगी । क्या इस प्रक्रिया को एवं स्वरूप को निजी पूँजीवाद कहा जायगा ? जब कि यह वस्तुतः गैर राष्ट्रीयकरण ही है ।

विभिन्न देशों की बैंकिंग प्रणाली

बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न देशों ने विभिन्न प्रक्रियाएँ अपनायी हैं । उदाहरणार्थ ग्रीस में बैंकिंग उद्योग में निजी पूँजी लगाने पर प्रतिबन्ध है । राज्य और सरकारी संस्थानों को 'बैंक आफ ग्रीस' की सामान्य पूँजी के १० % से अधिक पूँजी रखने की अनुमति नहीं है, शेष धन समाज हितकारी संस्थाओं द्वारा लगाया जाता है ।

कनाडा में ८ प्रमुख बैंकों को बैंकिंग उद्योग को चलाने के लिए एक दस वर्षीय चार्टर प्रत्येक बैंक को दिया जाता है । इस अवधि की परिसमाप्ति पर प्रत्येक बैंक को हाउस आफ कामन्स की बैंकिंग एवं वाणिज्य समिति के समक्ष अपने सारे कागजात प्रस्तुत करने पड़ते हैं । जांच के समय

समिति यह अनुभव करती है कि यदि कोई बैंक निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य को पूर्ण करने में असमर्थ रहा है तो बैंकिंग उद्योग चलाने के लिये उसकी चार्टर की अवधि नहीं बढ़ाई जाती है। अब तक कनाडा बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत शायद ही कभी कोई असफलता का उदाहरण प्रकाश में आया हो।

‘बैंक आफ जापान’ का नियन्त्रण एक सात सदस्यीय बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें ५ को ही मतदान का अधिकार होता है। सरकार का केवल १ मत होता है। जापानी संसद डायट के दोनों सदन इस बोर्ड में अपने ३ सदस्य नियुक्त करते हैं जो सभी स्वतन्त्र और अनुभवी होते हैं तथा स्थानीय बैंकों, बड़ी शहरी बैंकों, वाणिज्य व्यवसाय, तथा कृषि का भी वे प्रतिनिधित्व करते हैं। वहां एक गवर्नर होता है जो सरकारी कर्मचारी होता है। इन पांचों को मतदान का अधिकार नहीं होता है। ये दो वित्त मन्त्रालय और आर्थिक नियोजन एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वित्त एवं आर्थिक मामले पर मन्त्रालय का केवल इतना ही नियन्त्रण है कि मन्त्रालय सेन्ट्रल बैंक से किसी विशेष अवधि के लिये किसी भी निर्णय को स्थभित करने का आग्रह कर सकता है और वह भी उस समय जब कि बैंक के निर्णय का राज्य के हितों से संघर्ष होने की सम्भावना हो। स्थगन के आग्रह का पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विभिन्न

दृष्टिकोणों से नीति के प्रश्न पर सार्वजनिक चर्चा का अवसर प्रदान करता है।

आस्ट्रेलिया में बैंकिंग अधिनियम तथा १९४५ के कामन-वेल्थ बैंक अधिनियम के परिणामस्वरूप बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक अधिनियम बना। यह अधिनियम १९४७ में बैंकिंग अधिनियम १९४७ के नाम से पारित किया गया। इसके साथ ही दिसम्बर १९४९ में इसी प्रश्न पर आम चुनाव लड़ा गया जिसके दौरान बैंक कर्मचारियों ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध पुरजोर प्रचार किया और विजय पायी। विजयी उदारवादी सरकार ने उक्त अधिनियम को निरस्त्र कर दिया और बैंकिंग उद्योग में बैंकिंग और मुद्रा प्रणाली को इस प्रकार चलाने का उत्तरदायित्य सौंपा कि आस्ट्रेलिया का मूल्य स्थिर रहे और सबको रोजगार की पूर्ण व्यवस्था रहे।

आस्ट्रेलियायी बैंक अधिनियम के १९४५ से १९५३ तक के विकास से यह स्पष्ट होता है कि बैंकिंग व्यवस्था के मौलिक उद्देश्य मूल्यों को स्थिर बनाये रखना और पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना बैंकिंग व्यवस्था के द्वारा ही सम्भव है। गैर राष्ट्रीयकरण की इस प्रक्रिया को निजी पूँजीवाद कहकर बदनाम नहीं किया जा सकता। अतः यह कहना कि औद्योगिक स्वामित्व केवल दो प्रकार का ही होता है नितान्त गलत है। भारतीय मजदूर संघ निजी पूँजीवाद तथा सरकारी पूँजीवाद दोनों ही के विरुद्ध है।

**अर्थशास्त्रियों द्वारा संचालित स्वतन्त्र बैंकिंग एवं
मुद्रा व्यवस्था का गठन हो**

दोनों ही पक्षों में केन्द्रिकरण की बुराई को समाप्त करने और नयी अर्थव्यवस्था के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रस्तुत करने की दृष्टि से हमारा यह मत है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया, जो व्यवहार में भारत सरकार के आधीन है, का स्तर उसे वास्तविक मुद्रा अधिकारी के स्तर तक ऊंचा उठा देना चाहिए। इस दृष्टि से उसके आधार, स्वरूप और गठन में उपयुक्त परिवर्तन किया जाना चाहिए। नौकरशाही के अतिरिक्त स्वतन्त्र अर्थशास्त्रियों को ही रिजर्व बैंक का प्रमुख होना चाहिए। साथ ही प्रभावशाली ढंग से बैंक के संचालन मंडल का नियंत्रण करना चाहिए। इस ढंग से पुनर्गठित रिजर्व बैंक, सभी वित्तीय मामलों पर यथा, मुद्रा और ऋण आदि के संबन्ध में निर्णय करने वाला स्वतन्त्र एवं अन्तिम अधिकारी होना चाहिए। यद्यपि सरकार का स्थान तब भी राज्यकर कोष सम्बन्धी नीति निर्धारण में सर्वोच्च रहेगा, तो भी सरकार को वित्तीय नीति के सम्बन्ध में इस प्रकार गठित रिजर्व बैंक के अधिकारों का समादर करना चाहिए।

जब कभी नीति सम्बन्धी किसी प्रश्न पर मुद्रा एवं वित्तीय अधिकारी और वित्त मंत्रालय में कोई मतभेद हो तो सारा मामला संसद के सामने पेश किया जाना चाहिए और

उसका निर्णय प्राप्त किया जाना चाहिए । बिना संसद की अनुमति एवं स्वीकृति के वित्त मंत्रालय को वित्तीय अधिकारी के निर्णयों को उल्टने का अधिकार नहीं होना चाहिए । इसका उद्देश्य यह है कि एक ऐसी उचित एजेंसी कामयम रहे, जिसकी दक्षता, कार्यकुशलता, योग्यता और प्रेरणा पर देश के क्रृष्ण संशाधनों का जनहित में उपयोग किये जाने का विश्वास किया जा सके । न तो उद्योगपति और न सरकार ही यह कार्य कर सकती है । केवल कार्यपालिका का नियन्त्रण ही जनता के प्रति उत्तरदायी होने की गारन्टी नहीं है ।

जन उत्तरदायित्व का तात्पर्य

आजकल सार्वजनिक स्वामित्व व सार्वजनिक प्रशासन और जन उत्तरदायित्व की बड़ी चर्चा है । व्यवहार में यह देखा गया है कि सार्वजनिक स्वामित्व अभी भी एक कल्पना व एक विचार मात्र ही है । क्योंकि सभी लोग वस्तुतः संयत रूख नहीं रख सकते हैं । प्रशासन चाहे वह निजी क्षेत्र का हो अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का अभी तक ऐसा कोई साधन उपलब्ध नहीं है, जिसके द्वारा किसी संस्था अथवा उद्योग के दैनंदिन किया कलाप का समाज संचालन कर सके, तो भी जन उत्तरदायित्व पर बड़ा बल दिया जाता है । कनाडा की व्यवस्था जनउत्तरदायित्व का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि यहाँ संसद द्वारा एक निश्चित कालावधि के बाद पर्यालीकरण किया

जाता है। भारत में संसद द्वारा सार्वजनिक संस्थानों के पर्यालोचन और जनउत्तारदायित्व में तथा दूसरी ओर कनाडा व्यवस्था में बहुत बड़ा अन्तर है। भारत में सत्तारूढ़ दल अपना किसी उद्योग के संचालन के साथ अपने सम्मान को एकाकार करता है। फलतः यहां हर मामले में सरकार किंवा सत्तारूढ़ दल सरकारी उद्योग के संचालक एवं संचालन का अंथ समर्थन करता है। पर उधर दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत सम्पूर्ण संसद (सरकार और विरोधी दल दोनों) एक संस्था के रूप में किसी उद्योग के कार्य का पर्यालोचन करती है। वे आवश्यक आदेश दे सकती हैं, सुविधायें प्रदान कर सकती हैं अथवा एक संस्था के रूप में कतिपय प्रतिबन्ध लगा सकती है। न कि भारत के समान एक विभाजित सदन के रूप में जहां एक पक्ष प्रशासन में व्याप्त विफलता के लिए दूसरे पक्ष की आलोचना करता है।

मानेटरी तथा फिसकल एवारिटी अलग अलग रहे

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक का पूर्णतया गैर सरकारीकरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार के स्वतन्त्र वित्तीय एवं मुद्रा अधिकारी देश की बैंकिंग ढाँचे के सम्बन्ध में सुझाव करने और उनका विस्तार से स्वरूप निर्धारित झंटे की स्थिति में होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैंकिंग उद्योग की परिभाषा किंवा परिधि में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस व मिन्ट लेनों आना चाहिए।

रिजर्व बैंक, सहकारी एवं भू विकास बैंक के साथ ही स्टेट बैंक और व्यापारिक बैंक भी उसके आधीन करना चाहिए ।

मुद्रा एवं वित्त अधिकारी का लक्ष्य बैंकिंग उद्योग को इस प्रकार ढालना है कि मूल्य स्थिरता के साथ ही पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो सके । यह नया ढांचा सरकारी नियंत्रणों से मुक्त होना चाहिए, अन्यथा रिजर्व बैंक की भाँति ही यह भी राजनीतिक शीघ्रगमिता का शिकार होकर घाटे की अर्थ व्यवस्था चलाने तथा स्वर्ण (धातु) एवं विदेशी मुद्रा के अभाव में भी नोट छापने का कार्य करने पर विवश होगा । अतः मुद्रा अधिकारी और राज्य कर कोष मामले के अधिकारी प्रथक होना चाहिए अर्थात् मानेटरी एथार्टी तथा फिसकल एथार्टी अलग-अलग हों ।

कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व रहे

मुद्रा अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किसी भी नई व्यवस्था का व्यवस्थापन बैंक कर्मचारी सहित विभिन्न आर्थिक हितों के प्रतिनिधियों के हाथों में होना चाहिए । आज यह देखकर आश्चर्य होता है कि बैंक कर्मचारियों के कतिपय नेताओं ने बैंक के राष्ट्रीयकरण का समर्थन इस तथ्य को हृदयंगम किये बिना कर डाला जब कि नई व्यवस्था में बैंक कर्मचारियों का स्थान क्या होगा, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । उद्योगों की व्यवस्था में कर्मचारियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, अतः किसी भी व्यवस्था को लागू करने में उनकी

सहमति होना आवश्यक है ।

सेन्ट्रल बैंक आफ जापान के विधान में यह कहा गया है कि बैंकिंग अधिकारी स्वायत्त बैंक अधिकारी होगा तथा सभी राज्य कर कोष अधिकार सरकार के अधीन होंगे । यद्यपि मुद्रा अधिकारी, राज्य कर कोष अधिकारी के साथ सहयोग करेगा । इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार व वित्तीय अधिकारी : मुद्रा अधिकारी की सिफारिश पर उचित ध्यान देंगे ।

विवादों का निर्णय संसद करे

मुद्रा अधिकारी का स्वतन्त्र स्वरूप निर्धारित होना ही चाहिए । जैसे आज प्रशासन के तीन पक्ष हैं—विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, वैसे ही बैंक व्यवस्था एक चौथा पक्ष होना चाहिये । यदि कोई विवाद राज्य कर कोष अधिकारी और मुद्रा अधिकारी के मध्य उठता है तो उसके निर्णय करने का अधिकार संसद को हीना चाहिए ।

जब तक इस प्रकार की अधिकृत व्यवस्था नहीं की जाती, बैंकों का राष्ट्रीयकरण बैंकों का सरकारीकरण मात्र ही है।